

दिनांक  
दिनांक

हुकूम या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

02/03/2021

~~चक्राचल मदीके न उप.।~~

~~अपीलान्त कमला देवी जी लजपत~~

~~से है. अपीलान्त के द्वारा~~

~~अपील कानून चारा 75 RLR~~

~~Act. 1956 के तहत उत्सुत किया~~

~~जम्मू नामानाकाल सं. 251 गज~~

~~गोपनीको निरस्त करते हेतु~~

~~उत्सुत किया गया है. अपीलान्त~~

~~के द्वारा अपील दिनु उत्तराधिकार~~

~~व्यक्तिगत के आधार पर~~

~~उत्सुत को गई है. जबकि~~

~~अपीलान्त मील जाति से है, जो~~

~~किनुद्वयित जन जाति से है,~~

~~अपीलान्त के द्वारा उमके पिता~~

~~नाथाराज के पौतगी पर उमके~~

~~माईपते के पद में खोले गले~~


~~नामानाकाल को खारिज करने~~

उप दीर्घ अधिकारी  
(S.D.O.)




के लिए प्रयुक्त की गई,  
जो प्रारम्भिक स्टेज पर  
ही कपील ग्राहक नहीं है,

जैसी स्थिति में कपील 1-2 की  
कपील को इसी स्टेज पर  
अस्वीकार कर कार्रवाई की  
जाती है।

  
(नरेश लोनी)  
उप खण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

विशेष आग्रह कि 02-03. 2021 को  
कुले न्यायालय के सुनाया गया,  
प्राथमिकी केवल शुभान्त लेवल  
नम्बर के अन्तर्गत है।

  
उप खण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा